समाहरणालय, शिवहर

(राजस्व प्रशाखा)

सैरात की वास्तविक क्षमता आंकने हेतु आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 828 (अनु0) दिनांक 10.03.2021 में संलग्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 339/रा0 दिनांक 12.03.1980 में दिये गये निदेश के आलोक में प्रत्येक तीन वर्षों पर सैरातों की वास्तविक क्षमता आंकने के लिए खुली डाक किया जाना है। उल्लेखनीय है कि शिवहर जिला के राजस्व संबंधी सैरात यथा–डुमरी केवला बाजार, अम्बाकला बजार एवं बखार चंडिहाँ घाट के सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक नहीं हो सकी है। फलस्वरूप उक्त सैरातों की वास्तविक क्षमता आंकने के लिए खुली डाक हेतु तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त डाक कॉलम 6 (क) में अंकित तिथि को 1.00 बजे अपराह्न में समाहर्त्ता, शिवहर के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि (ख) एवं (ग) को उपरोक्त निर्धारित समय एवं स्थान पर सैरातों की वास्तविक क्षमता आंकने हेतु डाक की जायेगी। उक्त सैरातों का 2020–21 तक सुरक्षित जमा राशि की विवरणी सहित खुली डाक की तिथि निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	वित्तीय वर्ष	निर्धारित सुरक्षित जमा राशि	डाक की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डुमरी कटसरी	डुमरी केवला बाजार,	2018–19 से 2020–21	312800	(क) 27.04.2021
2	पिपराही	अम्बाकला बजार	2018–19 से 2020–21	41745	(ख) 27.04.2021 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 28.04.2021 को
3	पुरनहिया	बखार चंडिहाँ घाट	2018–19 से 2020–21	87946	(ग) 28.04.2021 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 29.04.2021 को अंतिम रूप से

उपरोक्त सैरातों की वास्तविक क्षमता आंकने हेतु खुली डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु Social Distancing सहित अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करेगें। यह खुली डाक सिर्फ सुरक्षित जमा निर्धारण के निमित है।

समाहर्ता को डाक के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
समाहर्त्ता,
शिवहर।

ज्ञापांकः– 192/रा0,   शिवहर,   दिनांकः– 08.4.21

प्रतिलिपिः–सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी डाक की तिथि को निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरी/अपर समाहर्ता के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। साथ ही अपने अंचल से संबंधित सैरातों वास्तविक क्षमता आंकलन हेतु सैरातवार अधिक से अधिक व्यक्ति साथ लावेगें।

प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सैरात की डाक की सचूना पंचायत/पंचायत समिति के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यह भी निदेश दिया जाता है कि सैरात की खुली डाक हेतु निर्गत आम सूचना की प्रति सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रकाशित करेगें ताकि आम लोगों के माध्यम से भी समुचित प्रचार–प्रसार हो सकें।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को बेबसाईट पर आम सूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा आम सूचना की एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
शिवहर।